राज्य सरकार/कृषि विपणन निदेशालय द्वारा

कृषि उपज मण्डी समिति बाडमेर (राज)

के माध्यम से संचालित

"महात्मा ज्योतिबा फूले मण्डी श्रमिक कल्याण योजना 2015"

योजना :–

इस योजना में राज्य की कृषि उपज मण्डी समितियों में कार्यरत अनुज्ञापत्रधारी हमालो एंव पल्लेदारो की सहायतार्थ है, जो दिनांक 11.04.2015 से प्रभावी है। उक्त योजना में ऐसे हमाल एंव पल्लेदार जिसने राजस्थान कृषि उपज मण्डी समिति अधिनियम 1961 के अधीन् हमाल एंव तुलारा के रूप मं अनुज्ञप्ति प्राप्त की हो और वह राज्य की मण्डियों में निर्धारित कार्य कर रहा हो तथा जिसे किसी अन्य स्त्रोंत से वेतन प्राप्त नही हो रहा हो।

देय सहायता :–

❖ प्रसूति सहायता –

- महिला अनुज्ञप्तिधारी हमालो एंव पल्लेदार को अधिकतम दो प्रसूतियों के लिए राज्य सरकार द्वारा अकुशल श्रमिक के रूप में निर्धारित प्रचलित मजदूरी दर अनुसार 45 दिवस की मजदूरी के समतुल्य सहायता राशि का भुगतान देय होगा।
- पितृत्व अवकाश के रूप में शिशु के हम्माल/तुलारा/पल्लेदार पिता को राज्य सरकार द्वारा अकुशल श्रमिक के रूप में निर्धारित प्रचलित मजदूरी दर अनुसार 15 दिन की मजदूरी के समतुल्य राशि का भुगतान देय होगा।

❖ विवाह के लिये सहायता :–

- अनुज्ञप्तिधारक महिला के विवाह एंव अनुज्ञप्तिधारी महिला एंव पुरूष की दो पुत्रियों की सीमा तक रू. 20,000/– (रूपये बीस हजार मात्र) प्रति विवाह सहायता देय होगी। विवाह योग्य दो पुत्रियों का विवाह भी एक साथ करते है तो प्रत्येक पुत्री का विवाह एक इकाई मानकर दो विवाहो की देय सहायत राशि के समतुल्य भुगतान किया जावेगा। सहायता के लिये सम्बन्धित अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में विवाह क एक माह पश्चात् तक पूर्व आवेदन प्रस्तुत करेगा।

❖ छात्रवृत्ति/मेघावी छात्र पुरस्कार –

- अनुज्ञापत्रधारी हम्माल या पल्लेदारो के प्रत्येकं ऐसे छात्र/छात्रा जो प्रथम श्रेणी अंक पाता है को निम्नानुसार मेघावी छात्रवृति दी जायेगी–

कक्षा	छात्र	छात्रा	
10 वीं में 80 % से अधिक अंक 70 % से 80 % तक	 3000/– 2000/–	 3500/– 2500/–	प्रति छात्र एकमुश्त
12 वीं में 90 % से अधिक अंक 80 % से 90 % तक 70 % से 80 % तक	 5000/– 4000/– 3000/–	 6000/– 5000/– 4000/–	प्रति छात्र एकमुश्त
स्नातक में 60 % से अधिक अंक	 4000/–	 5000/–	प्रति छात्र एकमुश्त
स्नातकोत्तर में 60 % से अधिक अंक	 5000/–	 6000/–	प्रति छात्र एकमुश्त

यह पुरस्कार यथासंभव पात्रता स्थापित होने के तीन माह मे देय होगा।

❖ चिकित्सा सहायता –

- अनुज्ञप्तिधारी हमालो अथवा पल्लेदार को गंभीर बीमारी (कैंसर, हार्ट अटैक, लीवर, किडनी आदि से सम्बन्धित) होने की दशा मे सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य केन्द्रो मे भर्ती रहने पर चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति अधिकतम रू. 20,000 (बीस हजार रूपये मात्र) की सीमा तक स्वीकृत की जायेगी। यह सहायता राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना ऐंव अन्य किसी योजना के अन्तर्गत देय सहायता के अतिरिक्त होगी।
- इस योजना के तहत उपलब्ध कराये जाने वाली सहायता यथा विवाह, प्रसूति एंव छात्रवृति दो बच्चो की सीमा तक देय होगी। इस सम्बन्ध मे राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों की पालना में ही सहायता देय होगी।

अधिकतम आयु 60 वर्ष तक।

आवेदन पत्र मण्डी समिति कार्यालय में निःशुल्क प्राप्त कर सकते है। अधिक जानकारी के लिये कार्यालय समय में इस कार्यालय एंव उपमण्डी कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अथवा दूरभाष नम्बर 02982–220503 पर सम्पर्क कर प्राप्त कर सकते है।

(ओम प्रकाश बिश्नोई)
प्रशासक

(डॉ. झब्बरसिंह)
सचिव